न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला– भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी :– कृष्णपाल सिंह चौहान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	फैसल दिनांक
54 / 2015	13.04.2015	28.04.2015

1. श्री निलेश पिता गोपाललाल जाति सोमानी निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. श्री दिलीप पिता नवरतन जाति सिसोदिया निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. श्री मुकेश पिता कैलाशचन्द्र जाति वैष्णव निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मु. मूली बेवा खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. मु. चांदी पुत्री खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. मु. उमा पुत्री खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. मु. सुगना पुत्री खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मु. नाराणी पुत्री खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
6. मु. रामकन्या पुत्री खेमा जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
7. मु. केसर पुत्री प्रताप जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
8. मु. अणछी बेवा प्रताप जाति कुम्हार निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
9. श्री माधुलाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. श्री हीरालाल पिता जवाहरमल जाति जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. मु. मेताबी बेवा जवाहरमल जाति जाट निवासी लाखोला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
12. श्री पुनित पिता महेन्द्रसिंह जाति पंवार निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

विपक्षीगण

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु

1. श्री गणपत राणवा अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाके ग्राम ... के बेरून हल्का आबादी के खाता संख्या 222 में वर्णित आराजी नं.

उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आरा मुतदास्तिना के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबधित विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी करना चाहता है। अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रार्थना–पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 13.04.2015 को पंजीबद्व किया गया। विपक्षी संख्या 1 से लगायत 12 बावजूद सूचना सुनवाई हेतु अनुपस्थित रहे जिससे प्रकरण में इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रकरण मे बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह बात निसंदेह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि की है तथा प्रार्थीगण पत्थरगढी कराने का अधिकार है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार सहाडा वाके ग्राम लाखोला तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी के खाता संख्या 222 में वर्णित आराजी नं. 71/2 रकबा 0.20 है., एवं इसी प्रकार ग्राम लाखोला तहसील सहाडा के बैरून हल्का आबादी के खाता संख्या 223 में वर्णित आराजी नं. 70/3 रकबा 0.08 है. कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है. भूमि मे किसी भी प्रकार दखलअन्दाजी नही करते हुए प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील सहाडा में 100 रूपये बतौर शुल्क जमा करावे एवम प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस रूपये 100 अक्षरे सौ रूपये मात्र संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा, खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार सहाडा विधिवत पत्थरगढी की जावे।

आदेश आज दिनांक 28.04.2015 को खुली अदालत मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(कृष्णपाल सिंह चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर (भीलवाड़ा)

प्रमाणित फोटो प्रति
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर